

कार्यालय ग्राम पंचायत- नसरतपुर धौरजी
 निकास स्पष्टि जमानियाँ
 जनपद- गाजीपुर

प्राप्ति

प्राप्ति

दिनांक 25/05/23

विषय:- जल जीवन मिशन (इर घर घाल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की इकाई के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मानविका

अवगत कराना है कि दिनांक 25/05/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्श्वमिक / जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाडी कार्यकर्ता / मानविका, कांटदार, ए०ए०ए० एवं भारा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उल्लंघन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना की गयी सहमति पत्र सम्बन्ध है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्षेत्रान्तर तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु अवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा इस्तेवाक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत.....प्रभागता सचिव
 फ़ॉकॉ-जखनियाँ-गाजीपुर

सहयक विकास अधिकारी (पं०)
 जखनियाँ, गाजीपुर।

मिशन
 M.P. Singh
 (Director)
 Sushma Foundation
 Varanasi(U.P.)





याम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो याम समुदाय की 'जीवन सुगमता' वाले बेहतर बनाने में मदद करती है। (याम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले याम समुदाय में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मानोदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 25/05/23
याम सभा में अनुमोदन की तारीख: 14/07/23
वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:
2. याम का नाम: वासरापुर एवं डी
याम पंचायत का नाम: भरतनिया
इलेक्ट्रिक का नाम: जाइतनिया
जिला वडा नाम: गोपीपुर
राज्य वडा नाम: कुट्टा पेठा
याम जनगणना कोड:

(यदि सामूहिक हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- I. याम पंचायत संकल्प
 3. याम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) महेशी कंडी को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिक्रिया नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता + चाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।
हम, याम समुदाय के लोग, अपनी अंतःयाम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदर्भित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।
यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
 4. पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
 - II. याम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
 4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
(याम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैपल र-वर्टेटा र-11मी/19
अध्यक्ष का नाम: मीमांसा
लिंग: महिला
आयु: 45


ग्राम पंचायत
निःख-व्यवस्था-गांजीपुर
ग्राम पंचायती
ग्राम पंचायती-गांजीपुर



M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

III. सामाजिक विवरण

6.



7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 112 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 231 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान नवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): ५८०

9. कृषि फसल फैटने: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): १७० से १७५ m11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ

1.	सावलनिक सम्पादकों का नाम उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	नियायिक एवं चालौनी से उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	नियायिक जल संधरण संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	साइडलाइन को उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)
1. आंगनबाड़ी	<u>हाँ</u>			
2. सामाजिक कानून	<u>हाँ</u>			
3. ग्राम पंचायत अवयव	<u>हाँ</u>			
4. अन्य	<u>हाँ</u>			

प्राचीनी की बुलंड ईलिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ५०.१३ के.एल.डी.
मरवेशीयों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ५६.६६ के.एल.डी.
मरवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: ४
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ३६.१८ के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ७० के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

6. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घटनाकाल/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं

7. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

8. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कठाय, सोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: नहीं

9. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: टाप्लाइ, मलोरिया, पेट दर्द
नी की गुणवत्ता

10. फिल्टर परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता नीं चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

सेनिट्रो निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने जाते मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्त्रान कर्म का स्त्रान

23. यह सम्भावना है कि गौव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की सहाया, जिनमें कपड़े धोने/स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

	परमों की सच्चाया	आवादा
	340	25/69

स्थानिक सेवा

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या लोरेल रिचार्ड संरचना है? (हाँ/नहीं) नहीं

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्यक्रम/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: तालाब की मरम्मत
गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 66.18 के.एल.डी.

अलग-भलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 4

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है: 2

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या: 5

क्या अपरिषट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): 61

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: उत्पन्न नहीं
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बीच से अन्य उपार्थों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता, वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संप्रीती जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

वार्षिक प्रधालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: _____

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	उत्पादन	समावित गतिविधि	प्रक्रिया
सांस्कृतिक विभाग	सांस्कृतिक विभाग	सांस्कृतिक विभाग	प्रक्रिया
योजना विभाग	योजना विभाग	योजना विभाग	प्रक्रिया
प्रदूषण नियन्त्रण	प्रदूषण नियन्त्रण	प्रदूषण नियन्त्रण	प्रक्रिया
मिल-याम	प्रदूषण नियन्त्रण	प्रदूषण नियन्त्रण	प्रक्रिया
(एस.वी.एस.)	जल शोधन मंडल	जल शोधन मंडल	प्रक्रिया
योजना विभाग	योजना विभाग	योजना विभाग	प्रक्रिया
योजना विभाग	योजना विभाग	योजना विभाग	प्रक्रिया



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित लिपि
एकीकृत बाटरशेड परियोजना कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारौ की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारौ का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास बल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास बल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीकरण रो जल की निकासी को कम करने के लिए वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
वित्तपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस., योजनाओं के लिए आवायक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रतिक्रिया आदि स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
रामगढ़ शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	अंतर्गम अवसंरचना	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.फ.)	राज्य	अंतर्गम अवसंरचना	
एम.पी.एल.ए.टी.	सांस्थिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)		
एम.एल.ए.एल.ए.टी.	राज्य		
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य		
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: विनोद देवी

पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. उनीता देवी

2. विनोद देवी

3. निशा तुला

4. प्रियंका

5. सुश्मा देवी

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:




M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विठ्ठल-जन्मनियाँ-गाजीपुर